

दिनांक 23.11.2022

पत्रावली पेश हुई। वाद पुकारा गया। परिवादी देवाशीष ढौढ़ियाल व्यक्तिगत रूप से उपस्थित। पत्रावली आज साक्ष्य परिवादी अंतर्गत धारा 202 दं०प्र०स० हेतु नियत है। न्यायहित में परिवादी को एक अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य परिवादी अंतर्गत धारा 202 दं०प्र०स० दिनांक 28.11.2022 को पेश हो।

रवि प्रकाश
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
पौड़ी गढ़वाल।